न्यायालय सहायक कलक्टर एंव उपखण्ड अधिकारी शिव

(पीठासीन अधिकारी श्री प्रतापसिंह आई.ए.एस.)

राजस्व वाद सं. 124/2019
अन्तर्गत धारा 88 ,40 RT Act

वादीगण	बनाम	प्रतिवादीगण
1. जोगराजसिंह पुत्र सगतसिंह 2. भोमसिंह पुत्र सगतसिंह 3. भैरूसिंह पुत्र सगतसिंह 4. राजेन्द्रसिंह पुत्र सगतसिंह 5. गजेन्द्रसिंह पुत्र सगतसिंह जातियान राजपुत निवासी कल्याणपुरा (चोचरा) तहसील शिव जिला बाड़मेर		1. सगतसिंह पुत्र महादानसिंह जाति राजपुत निवासी कल्याणपुरा (चोचरा) तहसील शिव जिला बाड़मेर 2. शांतिकंवर पुत्री सगतसिंह पत्नि हाथीसिंह जाति राजपुत निवासी कल्याणपुरा हाल निवासी हरभा तहसील फतेहगढ़ जिला जैसलमेर 3. भंवरसिंह पुत्र सांगसिंह 4. तगसिंह पुत्र सांगसिंह 5. विजयसिंह पुत्र खेतसिंह 6. सावलसिंह पुत्र खेतसिंह 7. लूणसिंह पुत्र खेतसिंह 8. अनोप कंवर पत्नि खेतसिंह 9. घेवरसिंह पुत्र भगवानसिंह 10. जुगतसिंह पुत्र भगवानसिंह 11. देवीसिंह पुत्र भगवानसिंह 12. कालुसिंह पुत्र भगवानसिंह 13. मिरगो पत्नि भगवानसिंह 14. मगसिंह पुत्र कल्याणसिंह 15. मोडसिंह पुत्र कल्याणसिंह 16. हाथीसिंह पुत्र कल्याणसिंह 17. आम्बसिंह पुत्र कल्याणसिंह 18. भंवरसिंह पुत्र केशरसिंह 19. दीपसिंह पुत्र केशरसिंह 20. चनणसिह पुत्र रतनसिंह 21. फूससिंह पुत्र रतनसिंह 22. खेतसिंह पुत्र रतनसिंह 23. रूपकंवर पत्नि प्रतापसिंह जातियान राजपुत निवासी कल्याणपुरा चोचरा तहसील शिव जिला बाड़मेर 24. शाखा प्रबंधक राजस्थान मरूधरा ग्रामीण बैंक शाखा भीयाड़ 25. शाखा प्रबंधक इंडीयन ओवरसीज बैंक शाखा बाड़मेर 26. तहसीलदार शिव

न्यायालय सहायक कलक्टर (SDO) शिव जिला बाड़मेर

अधिवक्तागण– वादीगण वकील श्री बृजमोहन कुमावत
प्रतिवादी वकील श्री जेठाराम कुमावत

–: निर्णय :–

दिनांक : 22.11.2019

वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद संक्षेप में इस प्रकार है कि वादीगण व प्रतिवादी एक ही संयुक्त हिन्दू परिवार व हिन्दू विधि से शासित है जो पूर्व पुरूष खंगारसिंह की संताने है।

सहायक कलक्टर
(SDO) शिव

Scanned by CamScanner

वादीगण व प्रतिवादीगण की खातेदारी भूमि मौजा कल्याणपुरा पटवार क्षेत्र चोचरा तहसील शिव के खसरा नम्बर 183 रकबा 143–04 बीघा व मौजा चोचरा के खसरा नम्बर 27, 59,81 रकबा क्रमशः 23–17, 174–02, 198–08 बीघा तथा मौजा पाबुसर तहसील शिव के खसरा नम्बर 140, 249/140 रकबा क्रमशः 19–08, 06–02 बीघा के आये हुए है जो वादीगण व प्रतिवादीगण को विरासत में प्राप्त हुए है जिसमे वादीगण व प्रतिवादी सं. 2 प्रतिवादी सं. 1 के जिवित संताने होने से तथा वादग्रस्त आराजी पैतृक सम्पति होने से व वादीगण व प्रतिवादी सं. 2 का जन्म संयुक्त हिन्दु परिवार में होने से उनके जन्म से ही पैतृक सहदायिक वादग्रस्त आराजी में पैदा हो जाने से वादीगण व प्रतिवादी सं. 2 के प्रतिवादी सं. 1 के साथ हक निहित है। इसलिये वादीगण ने प्रतिवादी सं. 1 के साथ उनके हक के हिस्से में सह खातेदार घोषित करने हेतु निवेदन किया है।

वादीगण का वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादीगण की ओर से श्री जेठाराम प्रजापत द्वारा वकालतनामा पेश किया गया तथा प्रतिवादी सं. 1 की ओर से ईकबाली जवाबदावा पेश कर वादीगण के वाद में वर्णित तथ्यो को स्वीकार कर बताया कि वादीगण को प्रतिवादी सं. 1 के साथ सह खातेदार घोषित किया जाता है तो मुझ प्रतिवादी सं. 1 को कोई ऐतराज नही है।

वादीगण ने ग्राम पंचायत चोचरा पंचायत समिति शिव द्वारा वारिश प्रमाण पत्र प्राप्त हुआ जिसमे प्रतिवादी सं. 1 सगतसिंह पुत्र महादानसिंह के वाद में बताये गये पुत्र/पुत्रियो के अलावा अन्य कोई पुत्र/पुत्रिया नही है।

वादीगण वकील द्वारा प्रार्थना पत्र आदेश 22 नियम 2 सिविल प्रक्रिया संहिता सपठित धारा 151 सीपीसी का पेश कर बताया कि वादी सं. 5 नारायणसिंह फौत हो चुके है जो अविवाहित थे जिनका नाम रेकर्ड से हटाया जावे। जिस पर प्रतिवादी अधिवक्ता द्वारा अनापत्ति जाहिर करने पर प्रतिवादी सं. 5 का नाम हटाया गया।

उभयपक्ष अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई। प्रतिवादीगण का ईकबाली जवाब, ग्रम पंचायत का वारिश प्रमाण पत्र एवं सम्पूर्ण पत्रावली का अध्ययन अवलोकन किया गया। वादीगण का वादग्रस्त मौजा कल्याणपुरा पटवार क्षेत्र चोचरा तहसील शिव के खसरा नम्बर 183 रकबा 143–04 बीघा व मौजा चोचरा के खसरा नम्बर 27, 59,81 रकबा क्रमशः 23–17, 174–02, 198–08 बीघा तथा मौजा पाबुसर तहसील शिव के खसरा नम्बर 140, 249/140 रकबा क्रमशः 19–08, 06–02 बीघा भूमि में वादीगण को प्रतिवादी सं. 1 के साथ उनके हिस्से में सह खातेदार घोषित किये जाते है।

तहसीलदार शिव को आदेशित किया जाता है कि उपरोक्त निर्णय अनुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद कर पालना सुनिश्चित करे। डिक्री पर्चा जारी हो। निर्णय आज दिनांक 22.11.2019 को खुले न्यायालय में सरे इजलास सुनाया गया।

पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर होकर नम्बर से कम हो।

उपखण्ड अधिकारी

(प्रतापसिंह)
सहायक कलक्टर
एस.डी.ओ. शिव

सहायक कलक्टर
(SDO) शिव

Scanned by CamScanner

डिक्री ब मुकदमें इब्तदाई
(ऑर्डर 20, रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)
(Civil Procedure Code, Applendix 'D'-1)

अज अदालत सहायक कलक्टर मुकाम शिव
व इजलास प्रतापसिंह आई.ए.एस

वादीगण	बनाम	प्रतिवादीगण
1. जोगराजसिंह पुत्र सगतसिंह 2. भोमसिंह पुत्र सगतसिंह 3. भैरूसिंह पुत्र सगतसिंह 4. राजेन्द्रसिंह पुत्र सगतसिंह 5. गजेन्द्रसिंह पुत्र सगतसिंह जातियान राजपुत निवासी कल्याणपुरा (चोचरा) तहसील शिव जिला बाड़मेर		1. सगतसिंह पुत्र महादानसिंह जाति राजपुत निवासी कल्याणपुरा (चोचरा) तहसील शिव जिला बाड़मेर 2. शांतिकंवर पुत्री सगतसिंह पत्नि हाथीसिंह जाति राजपुत निवासी कल्याणपुरा हाल निवासी हरभा तहसील फतेहगढ़ जिला जैसलमेर 3. भंवरसिंह पुत्र सांगसिंह 4. तगसिंह पुत्र सांगसिंह 5. विजयसिंह पुत्र खेतसिंह 6. सावलसिंह पुत्र खेतसिंह 7. लूणसिंह पुत्र खेतसिंह 8. अनोप कंवर पत्नि खेतसिंह 9. घेवरसिंह पुत्र भगवानसिंह 10. जुगतसिंह पुत्र भगवानसिंह 11. देवीसिंह पुत्र भगवानसिंह 12. कालुसिंह पुत्र भगवानसिंह 13. मिरगो पत्नि भगवानसिंह 14. मगसिंह पुत्र कल्याणसिंह 15. मोडसिंह पुत्र कल्याणसिंह 16. हाथीसिंह पुत्र कल्याणसिंह 17. आम्बसिंह पुत्र कल्याणसिंह 18. भंवरसिंह पुत्र केशरसिंह 19. दीपसिंह पुत्र केशरसिंह 20. चनणसिह पुत्र रतनसिंह 21. फूससिंह पुत्र रतनसिंह 22. खेतसिंह पुत्र रतनसिंह 23. रूपकंवर पत्नि प्रतापसिंह जातियान राजपुत निवासी कल्याणपुरा चोचरा तहसील शिव जिला बाड़मेर 24. शाखा प्रबंधक राजस्थान मरूधरा ग्रमीण बैंक शाखा भीयाड़ 25. शाखा प्रबंधक इंडीयन ओवरसीज बैंक शाखा बाड़मेर 26. तहसीलदार शिव

राजस्व वाद सं. 124/2019

अन्तर्गत धारा 88, 40 RT Act

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रू.ब.रू. न्यायालय बहाजरी श्री बृजमोहन कुमावत एड. मिनजानिब मुदाई व प्रतिवादी वकील श्री जेठाराम कुमावत उपस्थित मिनजानिब मुदायलाह पेश होकर, हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि वादीगण का वाद स्वीकार किया जाकर मौजा कल्याणपुरा पटवार क्षेत्र चोचरा तहसील शिव के खसरा नम्बर 183 रकबा 143–04 बीघा व मौजा चोचरा के खसरा नम्बर 27, 59,81 रकबा क्रमशः 23–17, 174–02, 198–08 बीघा तथा मौजा पाबुसर तहसील शिव के खसरा नम्बर 140, 249/140 रकबा क्रमशः 19–08, 06–02 बीघा भूमि में वादीगण को प्रतिवादी सं. 1 के साथ उनके हिस्से में सह खातेदार घोषित किये जाते है एवं तहसीलदार शिव को आदेश दिया जाता है कि निर्णय व डिकी पर्चा अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमलदरामद किया जावे।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज दिनांक 22.11..2019 को जारी की गई।

(प्रतापसिंह)
सहायक कलक्टर
सहायक कलक्टर (S.D.O.) शिव

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Pratap Singh
Date: 2020.01.10 16:09:40 IST
Reason: SelfAttested
Location: